

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryan	na
-------------------	----

No. 183-2016/Ext.]	चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2016	
	(19 कार्तिक, 1938 शक)	

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग—I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग-II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या सा०का०नि० २७ / संवि० ३०९ / २०१६, दिनांक १० नवम्बर, २०१६ – हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य (ग्रुप क) सेवा नियम, २०१६.

475-509

— हरियांचा उद्याग राजा पानिच्य (ग्रुप पर) राया गि

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

Price : Rs. 5.00 (lxxv)

भाग-III

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 नवम्बर, 2016

संख्या सा. का. नि. 27/संवि/अनु. 309/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

भाग-1 सामान्य

1. ये नियम हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य (ग्रूप क) सेवा नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।

संक्षिप्त नाम ।

परिभाषाएं ।

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -
 - (क) ''प्रशासनिक सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, जैसी भी स्थिति हो;
 - (ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
 - (ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा की गई नियुक्ति से अन्यथा कोई नियुक्ति ;
 - (घ) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हिरयाणा. जैसी भी स्थिति हो :
 - (ड़) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (च) "संस्था" से अभिप्राय है, -
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;
 - (छ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है :--
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; तथा
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; तथा
 - (ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य (ग्रूप क) सेवा ।

भाग-II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे :

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, —

सेवा में नियुक्त किए गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हों, के प्रधानशैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हो और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु। 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी ।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा तब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

निरर्हताएं । 8. कोई भी व्यक्ति, –

- (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है.

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग। 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी —

अ. जिला उद्योग केन्द्र संवर्ग :

(क) अपर निदेशक की दशा में ,-

(i) संयुक्त निदेशकों / उप निदेशकों (औद्योगिक प्रगति, परियोजना, सांख्यिकी) में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि कोई संयुक्त निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पदोन्नति उप निदेशकों (औद्योगिक प्रगति, परियोजना, सांख्यिकी) में से की जाएगी ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) संयुक्त निदेशकों की दशा में ;--

- (i) उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति), उप निदेशक (परियोजना), उप निदेशक (सांख्यिकी) में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति) की दशा में ;--

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सहायक निदेशकों (औद्योगिक प्रगति) में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) उप निदेशक (परियोजना) की दशा में .-

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सहायक निदेशकों (परियोजना) में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड.) उप निदेशक (सांख्यिकी) की दशा में ;--

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सहायक निदेशकों (सांख्यिकी) में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) उप निदेशक (विधि) की दशा में ;-

- (i) सहायक निदेशक (विधि) में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) स्थापना अधिकारी की दशा में, -

- (i) अधीक्षकों / निजी सचिव में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

आ. गुणांकन केन्द्र संवर्ग :

(क) अपर निदेशक (तकनीकी) की दशा में ;--

- (i) संयुक्त निदेशकों (तकनीकी)/संयुक्त निदेशकों (रसायन अभियांत्रिकी)/ उप निदेशकों (तकनीकी, रसायन अभियांत्रिकी) में से पदोन्नति द्वारा :
 - परन्तु यदि कोई संयुक्त निदेशक (तकनीकी, संयुक्त निदेशक रसायन अभियांत्रिकी) उपलब्ध नहीं हैं, तो पदोन्नति उप निदेशक (तकनीकी, रसायन अभियांत्रिकी) में से की जाएगी ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) संयुक्त निदेशक (तकनीकी) की दशा में ;--

- (i) उप निदेशक (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) संयुक्त निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) की दशा में ;-

- (i) उप निदेशकों (रसायन अभियांत्रिकी) में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) उप निदेशक (तकनीकी) की दशा में ;--

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सहायक निदेशकों; (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड.) उप निदेशकों (रसायन अभियांत्रिकी) की दशा में ;--

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सहायक निदेशकों (रसायन अभियांत्रिकी), सहायक निदेशकों (वस्त्र) में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परिवीक्षा ।

इ. बॉयलर संवर्ग :

- (क) संयुक्त निदेशक-एवं-मुख्य निरीक्षक बॉयलर की दशा में,-
 - (i) उप निदेशक-एवं-उप मुख्य निरीक्षक बॉयलर में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) उप निदेशक-एवं-उप मुख्य निरीक्षक बॉयलर की दशा में;-

- (i) सहायक निदेशक-एवं-निरीक्षक बॉयलर में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, सभी पदोन्नतियां योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, यदि कोई रिक्त होती है या होने वाली है, तो रिक्ति को भरने का ढंग सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
- 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु : -

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पृष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह ;—
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो ;--
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी ;--
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो, तो,
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो, तो,-

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति मे कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के ^{ज्येष्ठता} । अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग—अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जायेगी, —

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्ति में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।
- 12. (1) उच्च पदों पर पदोन्नित विभागीय पदोन्नित सिमिति द्वारा मैरिट एवं ज्येष्ठता के आधार पर विचारी जाएगी । मैरिट एवं ज्येष्ठता वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (70 प्रतिशत महत्व) तथा ज्येष्ठता (30 प्रतिशत महत्व) के आधार पर अवधारित की जाएगी । प्रशासकीय सचिव ग्रुप क के सभी पदों पर पदोन्नित के लिए विभागीय पदोन्नित सिमिति का अध्यक्ष होगा।

पदोन्नित के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया ।

(2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस (70 प्रतिशत महत्व),—

पदोन्नित के लिए सुविचारित की जाने वाले अधिकारी की मैरिट उसके द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अर्जित अंकों के आधार पर होगी। कुल 100 अंकों में से वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के 70 प्रतिशत महत्त्व अंकों के अधिभार की गणना निम्न प्रकार से होगी:—

(ক)	उत्कृष्ट	10 अंक
(ख)	बहुत अच्छा	८ अंक
(ग)	अच्छा	६ अंक
(ਬ)	औसत	४ अंक तथा
(ভ়)	औसत के नीचे	० अंक

उदाहरण :--

(i) यदि कोई अधिकारी अपनी सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस उत्कृष्ट प्राप्त करता है तथा अपने खाते में 100 अंक प्राप्त करता है जो अधिकतम योग्यता है। इसलिए, 100 अंको की अर्जित इस अधिकतम सम्भव योग्यता को 70 प्रतिशत महत्त्व के समकक्ष माना जाएगा । इसी प्रकार किसी कर्मचारी द्वारा 100 से कम अंक प्राप्त करने की दशा में अनुपात कम होगा । अंकों की गणना का सूत्र निम्न प्रकार से होगा :—

पिछले 10 वर्षो के दौरान अर्जित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स के अंको का योगX70(महत्व)=अंक दिए जाने हैं 100 (अधिकतम सम्भव अंक)

(ii) यदि कोई अधिकारी अपनी अन्तिम पदोन्नित की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है, तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के पैरामीटर के अनुसार उसकी 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस का कुल स्कोर 70 अंक होगा । दूसरी ओर, यदि कोई अधिकारी 10 वर्षों से कम यदि नियुक्ति के बाद 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करता है, तो उसकी सभी सात वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस को विचारा जाएगा और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के पैरामीटर के अनुसार उसको 70 अंकों में से अंक निम्न प्रकार से प्रदान किए जाएंगे ।

पिछले 7 वर्षों के दौरान अर्जित वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के अंको का योग X70(महत्व)= अंक दिए जाने हैं 7X10

(3) ज्येष्ठता (30 अंक), कोई अधिकारी जो पदोन्नित के लिए न्यूनतम वर्षों की योग्य सेवा ही पूर्ण करता है, तो उसे ज्येष्ठता के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे तथा फीडर संवर्ग पर सेवा के वर्षों की अर्हक संख्या से अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक दिए जाएंगे जो अधिकतम 30 अंकों के अध्याधीन होंगें । छह मास से ज्यादा की अविध एक वर्ष मानी जाएगी तथा छह मास से कम की अविध को अर्थहीन माना जाएगा ।

कोई भी अधिकारी जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस और ज्येष्टता के 100 अंकों में से 65 अंकों से कम अंक प्राप्त करता है, तो पदोन्नति के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण :-उपरोक्त मानदण्ड पूर्ण करने के उपरान्त किसी अधिकारी के पदोन्नित के लिए पात्र पाए जाने की दशा में, फीडर संवर्ग की ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी। फिर भी यदि कोई अधिकारी वर्तमान पैनल में पदोन्नत नहीं होता तथा तदोपरान्त पदोन्नत होता है, तो उसे पूर्व पदोन्नत अधिकारियों से किनष्ठ समझा जायेगा तथा वह फीडर संवर्ग की ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा जो वह फीडर संवर्ग में उपयोग कर रहा था।

सेवा करने का दायित्व ।

- 13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—
 - (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो;
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छ्ट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट वेतन, छुट्टी, पेन्शन रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए अथवा बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें ।

तथा अन्य मामले ।

- कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) जोड़ने के लिए पात्र होगा, -
 - उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि ; या
 - वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती (ii)
 - पांच वर्ष की अवधि ; (iii)

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई निम्नलिखित में से कोई एक है, -

- जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और
- जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किये गये हैं: परन्तू यह छूट सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञय होगी, जिनकी, -
 - नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नित द्वारा ;
 - वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवा निवृति के समय दस वर्ष या (ii)
 - किसी ऐसे पद पर नियुक्ति, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट (iii) उपबंध अंतर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है ।
- उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी, बशर्ते सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उप नियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा । वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा । एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा ।

इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा ।

अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तू ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन पारित आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।
- सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा ।

सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज निष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की

जहां सरकार की राय में. इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो. वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष विशेष उपबन्ध । निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

राजनिष्ठा की शपथ।

टीका लगवाना ।

ढील देने की शक्ति।

आरक्षण ।

20. इन नियमों में दी कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति । 21. हरियाणा उद्योग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1986, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं : परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

[देखिये नियम 3]

क्रम	पदनाम	पदों की संख्या		ख्या	वेतनमान
संख्या		स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	
1	2	3	4	5	6
जिला उद्द	जिला उद्योग केन्द्र संवर्ग :				
1	अपर निदेशक	2	3	5	15600—39100+8000 रुपये ग्रेड वेतन
2	संयुक्त निदेशक	17	0	17	15600—39100+6400 रुपये ग्रेड वेतन
3	उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति)	9	0	9	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
4	उप निदेशक (परियोजना)	2	0	2	15600-39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
5	उप निदेशक (सांख्यिकी)	0	6	6	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
6	उप निदेशक (विधि)	0	1	1	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
7	स्थापना अधिकारी	0	1	1	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
8	राजस्व अधिकारी	0	1	1	राजस्व विभाग हरियाणा से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर ।
गुणाकंन	केन्द्र संवर्ग :				
1	अपर निदेशक (तकनीकी)	0	2	2	15600—39100+8000 रुपये ग्रेड वेतन
2	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	1	1	2	15600—39100+6400 रुपये ग्रेड वेतन
3	संयुक्त निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)	0	2	2	15600—39100+6400 रुपये ग्रेड वेतन
4	उप निदेशक (तकनीकी)	1	3	4	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
5	उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)	1	1	2	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन
बॉयलर स					
1	संयुक्त निदेशक–एवं–मुख्य निरीक्षक, बॉयलरज	1	0	1	15600—39100+6400 रुपये ग्रेड वेतन
2	उप निदेशक–एवं–उप मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	2	0	2	15600—39100+5400 रुपये ग्रेड वेतन

िटप्पण :— जिला राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग हरियाणा से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर समरुप ग्रेड वेतन पर राजस्व अधिकारी के पद से तैनात किया जाएगा ।

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम ७)

क्रम	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	सीधी भती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक					
संख्या		तथा अनुभव यदि कोई हो	अर्हताए तथा अनुभव यदि कोई हो					
1	2	3	4					
क. जिल	क. जिला उद्योग केन्द्र संवर्ग							
1	अपर निदेशक		पदोन्नति द्वारा :					
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या / वाणिज्य/ अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित / व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ; तथा (ii) संयुक्त निदेशक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; अथवा उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति) / उप निदेशक (परियोजना) / उप निदेशक (सांख्यिकी) के रूप में दस वर्ष का अनुभव ; अथवा संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति / परियोजना / सांख्यिकी) के रूप में दस वर्ष का संयुक्त अनुभव ; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या / वाणिज्य / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित / व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ; तथा (ii) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से अपर निदेशक के पद पर हो ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्यतर शिक्षा स्तर तक					
	· 6>		हिन्दी / संस्कृत ;					
2	संयुक्त निदेशक		पदोन्नति द्वारा :					
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या / वाणिज्य/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/गणित गणित/व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी मे स्नातकोत्तर डिग्री; तथा					
			(ii) उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति) / उप निदेशक (परियोजना) / उप निदेशक (सांख्यिकी) के रुप में पाँच वर्ष का					

			अनुभव ;
			टिप्पण:—उपरोक्त योग्यताओं के मापदण्ड इन सेवा नियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त किए गए उप निदेशकों के लिए लागू नहीं होंगे ; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:—
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी / अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या वाणिज्य / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित / व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ;
			(ii) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से संयुक्त निदेशक के पद पर हो ; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ;
3	उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या प्रौद्योगिक/ अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री तथा किसी प्राईवेट उद्योग/ अर्ध सरकारी/ सरकारी उपक्रम/ विभाग में पर्यवेक्षी/ प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	पदोन्नित द्वारा :— सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रगति) के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण/प्रितिनियुक्ति द्वारा:— (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति) के पद पर हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या वाणिज्य/अर्थशास्त्र व्यवसाय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;
4	उप निदेशक (परियोजना)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री तथा किसी प्राईवेट उद्योग / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में पर्यवेक्षी / प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	पदोन्नित द्वारा :— सहायक निदेशक (परियोजना) के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (परियोजना) के पद पर हो; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में रनातक डिग्री; (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत;

5	उप निदेशक (सांख्यिकी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / वाणिज्य गणित में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या चार्टेड एकाउटैण्ट या कम्पनी सचिव या चार्टेड वित्तीय विशलेषक (सी०एफ०ए) तथा किसी प्राईवेट उद्योग / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में पर्यवेक्षी / प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	पदोन्नित द्वारा :- सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण/प्रितिनियुक्ति द्वारा:- (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (सांख्यिकी) के पद पर हो; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/ वाणिज्य/ गणित में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या चार्टेड एकाउटैण्ट या कम्पनी सचिव या चार्टेड वित्तीय विशलेषक (सी०एफ०ए०); तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत;
6	उप निदेशक (विधि)		पदोन्नित द्वारा :- सहायक निदेशक (विधि) के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण/प्रितिनियुक्ति द्वारा:- (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (विधि) के पद पर हो; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में विधि स्नातक ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;
7	स्थापना अधिकारी		पदोन्नित द्वारा :- अधीक्षक / निजी सचिव के रुप में दो वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से स्थापना अधिकारी के पद पर हो ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ;

ख. गुणांकन केन्द्र संवर्ग

G. 3-114	१न कन्द्र सवग	T		
1	अपर निदेशक		पदोन	नति द्वारा :–
	(तकनीकी)		(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
	,			यांत्रिकी / विद्युत / धातु विज्ञान /
				उत्पादन / इलैकट्रोनिकस /
				इलैकट्रोनिकस तथा संचार/ वस्त्र/
				रसायन अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी,
				अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकीं में प्रथम
				श्रेणी में रनातक डिग्री ; तथा
			(···)	
			(ii)	संयुक्त निदेशक (तकनीकी) या संयुक्त
				निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) के रुप
				में पाँच वर्ष का अनुभव;
				अथवा
				उप निदेशक (तकनीकी) या उप
				निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) के रुप
				में दस वर्ष का अनुभव;
			(iii)	संयुक्त निदेशक (तकनीकी, रसायन
			, ,	अभियांत्रिकी) तथा [ं] उप निदेशक
				(तकनीकी, रसायन अभियांत्रिकी) के रुप
				में दस वर्ष का संयुक्त अनुभव;
			स्थान	गन्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वाराः—
			(i)	उम्मीदवार पहले से ही कम से कम
			(1)	एक वर्ष से अपर निदेशक (तकनीकी)
				के पद पर हो ;
			(ii)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
			(11)	यांत्रिकी /विद्युत/ धातु विज्ञान/
				उत्पादन / इलैकट्रोनिकस /
				इलैकट्रोनिकस तथा संचार/ वस्त्र/
				रसायन अभियान्त्रिकी या प्रोद्योगिकी में
			<i>(</i>)	प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा
			(iii)	मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक
	- `			हिन्दी / संस्कृत ;
2	संयुक्त निदेशक		पदोन	नित द्वारा :
	(तकनीकी)		(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
				यांत्रिकी / विद्युत / धातु विज्ञान /
				उत्पादन/ इलैक्ट्रोनिकस तथा संचार/
				अभियान्त्रिकी या प्रोद्योगिकी में प्रथम
				श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा
			(ii)	उप निदेशक (तकनीकी) के रुप में
				पाँच वर्ष का अनुभव।
				टिप्पण: —उपरोक्त योग्यताओं के मापदण्ड
				इन सेवा नियमों की अधिसूचना जारी
				होने की तिथि से पूर्व नियुक्त किए गए
				उप निदेशकों के लिए लागू नहीं होंगे ;
			स्थान	गन्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वाराः—
			(i)	उम्मीदवार पहले से ही कम से कम
			(1)	एक वर्ष से संयुक्त निदेशक; तकनीकीद्ध
				के पद पर हो ;
			(ii)	करी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
			(ii)	
				यांत्रिकी / विद्युत / धातु विज्ञान /
				उत्पादन/ इलैकट्रोनिकस तथा
				संचार / अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी
				में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा

			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत;
3	संयुक्त निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)		पदोन्नित द्वारा :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन / वस्त्र प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा (ii) उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण:— उपरोक्त योग्यताओं के मापदण्ड इन सेवा नियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त किए गए उप निदेशकों के लिए लागू नहीं होंगे ; स्थानान्तरण / प्रतिनयुक्ति द्वारा:— (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से संयुक्त निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) के पद पर हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन / वस्त्र प्रौद्योगिकी या अभियान्त्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक
4.	उप निदेशक (तकनीकी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से विद्युत / यांत्रिकी / इलैक्ट्रोनिकस / इलेक्ट्रोनिकस तथा संचार / उत्पादन / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री तथा किसी प्राईवेट उद्योग / कम्पनी / अर्धसरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में पर्यवेक्षी / प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;	हिन्दी / संस्कृत ; पदोन्नित द्वारा :— सहायक निदेशक (तकनीकी) के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:— (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (तकनीकी) के पद पर हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से विद्युत / यांत्रिकी / धातु विज्ञान / उत्पादन / इलेक्ट्रोनिकस / इलेक्ट्रोनिकस और संचार अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ;
5.	उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से रसायन अभियान्त्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री, तथा किसी प्राईवेट उद्योग कम्पनी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में पर्यवेक्षी / प्रबन्धकीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;	पदोन्ति द्वारा :- सहायक निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) / सहायक निदेशक (वस्त्र) के रुप मे पाँच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी) के पद पर हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था / विश्वविद्याालय से रसायन / वस्त्र अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में रनातक डिग्री ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ;

ग. बॉयलर संवर्ग

1	संयुक्त	ਧਨੀਵ	नति द्वारा :
'	निदेशक—एंव— मुख्य निरीक्षक बॉयलर	(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष; तथा
		(ii)	उप निदेशक बॉयलर-एवं-उप मुख्यनिरीक्षक बॉयलर के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव;
		स्थान	गन्तरण ∕ प्रतिनियुक्ति द्वाराः–
		(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्याालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष;
		(ii)	उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से संयुक्त निदेशक—एवं— मुख्य निरीक्षक बॉयलर के पद पर हो ; तथा
		(iii)	मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत;
2.	उप निदेशक बॉयलर	पदोन	नित द्वारा :
2.	उप निदेशक बॉयलर –एवं– उप मुख्य निरीक्षक बॉयलर	पदोन् (i)	
2.	–एवं– उप मुख्य		नित द्वारा :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में रनातक
2.	–एवं– उप मुख्य	(i) (ii)	नित द्वारा :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या समकक्ष; तथा सहायक निदेशक बॉयलर—एंव— निरीक्षक बॉयलर के रुप में पाँच वर्ष का
2.	–एवं– उप मुख्य	(i) (ii)	नित द्वारा :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में रनातक डिग्री या समकक्ष; तथा सहायक निदेशक बॉयलर—एंव— निरीक्षक बॉयलर के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव;
2.	–एवं– उप मुख्य	(i) (ii) स्थान	नित द्वारा :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या समकक्ष; तथा सहायक निदेशक बॉयलर—एंव— निरीक्षक बॉयलर के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; ान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी / उत्पादन / विद्युत संयंत्र / धातु विज्ञान अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या

परिशिष्ट ग *[देखिये नियम 15 (1)]*

		1	[दाखय 19यम 15 (1)] 		
क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
जिला व	उद्योग केन्द्र संवर्ग	सरकार	लघु शास्तियाँ	निदेशक	सरकार
1	अपर निदेशक		(i) वैयक्तिक फाइल पर प्रति		
2	संयुक्त निदेशक		रखते हुए चेतावनी ;		
3	उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति)		(ii) परिनिन्दा ; (iii) एक वर्ष तक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति		
4	उप निदेशक (परियोजना)		रोकना ; (iv) केन्द्रीय सरकार या किसी		
5	उप निदेशक (सांख्याकी)		राज्य सरकार या किसी कम्पनी, तथा संस्था या		
6	उप निदेशक (विधि)		व्यष्टि निकाय, चाहे		
7	स्थापना अधिकारी		निगमित हो या नहीं , को		
गुणाकंन	न केन्द्र संवर्ग		जो पूर्ण रूप से या सारभूत रूप से सरकार के		
1	अपर निदेशक (तकनीकी)		रुप स सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन अथवा संसद		
2	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)		या राज्य विधान—मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित		
3	संयुक्त निदेशक(रसायन अभियांत्रिकी)		किसी स्थानीय प्राधिकरण की उपेक्षा या आदेशों के		
4	उप निदेशक (तकनीकी)		उलंघन द्वारा हुई किसी धन		
5	उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)		सम्बन्धी हानि की पूरी या इसके भाग की, वेतन से		
बॉयलर	,		वसूली ; तथा		
1	संयुक्त	-	(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियाँ) रोकना;	सरकार	सरकार
	निदेशक—एवं—मुख्य निरीक्षक,बॉयलर		बड़ी शास्तियां		
2	उप निदेशक–एवं–उप मुख्य निरीक्षक, बॉयलर		(vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियाँ)रोकना ; (vii) एक वर्ष से अधिक की		
			विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना ;		
			(viii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन बैंड या		
			वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे विशिष्ट		
			निर्देशों सहित कि क्या अवनति की विनिर्दिष्ट		
			अवधि के प्रचलन के दौरान सामान्य वेतन वृद्धि		
			अनुज्ञेय होगी या नहीं तथा आगे, क्या अवनति		
			की अवधि की समाप्ति पर, उसका वेतन प्रत्यावर्तित		
			किया जाना है या नहीं ; (iv) निम्नतर वेतन ढांचा, पद		

		या सेवा पर एक वर्ष की	
		अवधि से अधिक के लिए	
		अवनति, जिससे सरकारी	
		कर्मचारी पदोन्नत किया	
		गया था। जो वेतन ढांचा,	
		पद या सेवा जिससे	
		सरकारी कर्मचारी अवनत	
		किया गया है, पर	
		सरकारी कर्मचारी की	
		पदोन्नति के लिये ऐसा	
		वेतन ढांचा, पद या सेवा	
		जिससे कर्मचारी अवनत	
		किया गया था, उस वेतन	
		ढांचा पद या सेवा में ऐसी	
		बहाली पर उसकी	
		वरिष्टता तथा वेतन के	
		बारे में शर्तीं सम्बन्धी	
		अतिरिक्त निर्देशों के साथ	
		या उसके बिना	
		साधारणत्या रोक होगी ;	
	(v)	अनिवार्य सेवानिवृति ;	
		` `	
	(vi)		
	(vii)	सेवा से पदच्युति।	

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
जिला ज	उद्योग केन्द्र संवर्ग	सरकार	(i) पेन्शन को शास्ति करने	सरकार	सरकार
1	अपर निदेशक		वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या		
2	संयुक्त निदेशक		अतिरिक्त पेन्शन की राशि		
3	उप निदेशक (औद्योगिक प्रगति)		में कमी करना या रोकना ; (ii) उसको अधिवार्षिता के लिये नियत आयु का होने		
4	उप निदेशक (परियोजना)		से अन्यथा नियुक्ति की		
5	उप निदेशक (साख्यिकी)		समाप्ति ।		
6	उप निदेशक (विधि)				
7	स्थापना अधिकारी				
गुणाकंन	न केन्द्र संवर्ग				
1	अपर निदेशक (तकनीकी)				
2	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)				
3	संयुक्त निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)				
4	उप निदेशक (तकनीकी)				
5	उप निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)				
बॉयलर	संवर्ग				
1	संयुक्त निदेशक–एंव–मुख्य निरीक्षक, बॉयलर				
2	उप निदेशक–एंव–उप मुख्य निरीक्षक, बॉयलर				

देवेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 10th November, 2016

No. G.S.R.— 27 /Const./Art./309/2016 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Industries and Commerce (Group A) Service, namely:—

PART 1 – GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Industries and Commerce (Group A) Service Rules, 2016.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

Definitions

- (a) "Administrative Secretary" means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government of Haryana, Industries and Commerce Department, as the case may be;
- (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer/deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Director" means the Director General or Director of Industries and Commerce, Haryana, as the case may be;
- (e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (f) "institution" means, -
- (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (g) "recognized university" means,-
- (i) any university incorporated by law in India; and
- (ii) any other university, which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules; and
- (h) "Service" means the Haryana Industries and Commerce (Group A) Service.

PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- **4.** (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c), shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

Nationality, domicile and character of candidates/recruited to Service. (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal/ Academic Officer of the University/ College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty-two years of age on the last day of the submission of application to the Commission or recruiting authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he possesses qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that where sufficient number of candidates belonging to the scheduled castes, backward classes, other backward classes, ex-servicemen and differently-abled candidates possessing the prescribed requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them by direct recruitment, the Commission or any other recruiting authority may relax the qualifications regarding experience to the extent of 50 percent after recording the reasons for doing so in writing.

Disqualifications.

- 8. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
 or
 - (b) who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Mode of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,-

A. District Industries Centre Cadre:

(a) In the case of Additional Director,-

(i) by promotion from amongst the Joint Directors/Deputy Directors(Industrial Promotion, Project, Statistics):

Provided that in case no Joint Director is available then the promotion shall be made amongst Deputy Directors (Industrial Promotion, Project, Statistics); or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) In the case of Joint Director,-

- (i) by promotion from amongst the Deputy Director (Industrial Promotion), Deputy Director (Projects), Deputy Director (Statistics); or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) In the case of Deputy Director (Industrial Promotion),-

- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Directors (Industrial Promotion); or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) In the case of Deputy Director (Projects),-

- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Director (Projects); or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) In the case of Deputy Directors (Statistics),-

- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Directors (Statistics); or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) In the case of Deputy Director (Legal),-

- (i) by promotion from amongst the Assistant Director (Legal); or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) In the case of Establishment Officer,-

- (i) by promotion from amongst the Superintendent/Private Secretary; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

B. Quality Marking Centre Cadre:

(a) In the case of Additional Director (Technical),-

(i) by promotion from amongst the Joint Director (Technical)/Joint Director (Chemical Engineering)/ Deputy Director (Technical, Chemical Engineering):

Provided that in case no Joint Director (Technical) and Joint Director (Chemical Engineering) is available then the promotion shall be made from amongst the Deputy Directors(Technical, Chemical Engineering); or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) In the case of Joint Director (Technical),-

- (i) by promotion from amongst the Deputy Director (Technical); or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) In the case of Joint Director (Chemical Engineering),-

- by promotion from amongst the Deputy Director (Chemical Engineering);
 or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) In the case of Deputy Director (Technical),-

- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Directors (Technical); or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) In the case of Deputy Director (Chemical Engineering),-

- (i) 50% by direct recruitment; and
- (ii) 50% by promotion from amongst the Assistant Directors (Chemical Engineering), Assistant Directors (Textile); or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

C. Boiler Cadre:

(a) In the case of Joint Director-cum-Chief Inspector of Boiler,-

- by promotion from Deputy Director-cum-Deputy Chief Inspectors of Boilers: or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

(b) In the case of Deputy Director-cum-Deputy Chief Inspector of Boilers,-

- by promotion from amongst the Assistant Director-cum-Inspectors of Boilers; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on merit-cum-seniority basis and seniority alone shall not give any right to such promotions.
- (3) Unless otherwise provided, if any vacancy occurs or is above to occur, the Government shall determine the method by which the same shall be filled in.
- (1) Person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his previous post; or
 - (ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
 - (a) if the work or conduct has in its opinion been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) If his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Probation.

10.

11. Seniority *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by the direct recruitment, the orders of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:-

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follow:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined, according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
- 12. (1) Promotion to the higher post shall be considered through the Departmental Promotion Committee on merit-cum-seniority. The merit-cum-seniority shall be determined on the basis of Annual Confidential Reports (70% weightage) and Seniority (30% weightage). Administrative Secretary shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee for promotion to all Group A posts.

Procedures for assessment of Annual Confidential Report and Seniority for promotion.

(2) Annual Confidential Reports (70 % weightage),-

Merit of a person to be considered for promotion shall be based on points earned in the Annual Confidential Reports (ACRs). Of the total 100 points, weightage of Annual Confidential Reports shall be of 70 points and these points shall be calculated as per following:-

(a) Outstanding = 10 points; (b) Very Good = 8 points; (c) Good = 6 points; (d) Average = 4 points; and (e) Below Average = 0 points.

Illustrations:-

(i) An Officer can earn all the 10 ACRs as outstanding resulting into 100 points to his credit which is the maximum cap. Therefore, this maximum possible earning of 100 points is treated equivalent to 70% weightage. Consequently, the points earned by an employee less than 100 points shall be reduced proportionately. The formula for calculation of the points would be as under:-

ACR points earned during last 10 years x 70(weightage) = Points to be awarded 100 (maximum possible mark)

(ii) In case an officer has completed 10 years of service since his last date of promotion, his total score on the ten ACRs shall be arrived at out of the 70 points on ACR parameter. On the other hand, if an officer has completed less than 10 years, say, 7 years since his last date of appointment, all his seven ACRs shall be taken into account and his score on ACR parameter out of 70 points shall be arrived at in the following manner:-

ACR points earned during last 7 years x 70(weightage) = Points to be awarded

7×10

(3) Seniority (30 % weightage), An officer who has just completed minimum qualifying number of years of service for promotion shall be allowed zero point against seniority and 3 points for each year above the qualifying number of years of service on the feeder cadre shall be allowed subject to a maximum of 30 points. Period of more than 6 months shall be treated as one year while less than six months shall be ignored.

No person shall be allowed promotion to the next higher post if his overall score is **less than 65** points out of 100 points on Annual Confidential Reports, and seniority.

NOTE:- Any officer found fit for promotion after qualifying the above criteria, the seniority of the feeder cadre shall not be disturbed. However, if an officer in the consideration zone is not promoted in the present panel and is promoted subsequently, he shall be placed junior to the candidates who were earlier promoted and shall not claim his seniority which he was enjoying in the feeder cadre.

Liability to serve.

- 13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve under:-
 - a company, Association or a Body of individuals whether in corporate or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or Local Authority within the State of Haryana;
 - the Central Government or a company, Association or a Body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an International Organization, an Autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any Organization or Body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave pension and other matters.

- 14. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law, for the time being in force made by the State Legislature.
- (2) Any Government employee who retires from a service or post shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),-
 - (i) the actual period not exceeding one-forth of the length of his service; or
 - (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years; or
 - (iii) a period of five years,

whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one,-

- (a) for which post-graduate research of specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and
- (b) to which candidate of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee,-

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement.
- (iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule
- (3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule(2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note:- The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the administrative department in consultation with the Finance Department.

15. (1) In matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) and clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.
- **16.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

Vaccination.

Discipline,

and

penalties

appeal.

- 17. Every member of the Service unless he has already done so shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by Law established.
- 18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of relaxation.

19. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to so.

Special provision.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedules Castes and Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with order issued by the State Government from time to time.

Reservations.

21. The Haryana Industries (Group A) Service Rules, 1986 are hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of the posts	N	Number of posts	Scale of pay	
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
Distr	rict Industries Centre Cadre:-				
1	Additional Director	2	3	5	Rs. 15600-39100+8000 GP
2	Joint Director	17	0	17	Rs. 15600-39100+6400 GP
3	Deputy Director (Industrial Promotion)	9	0	9	Rs. 15600-39100+5400 GP
4	Deputy Director (Projects)	2	0	2	Rs. 15600-39100+5400 GP
5	Deputy Director (Statistics)	0	6	6	Rs. 15600-39100+5400 GP
6	Deputy Director(Legal)	0	1	1	Rs. 15600-39100+5400 GP
7	Establishment Officer	0	1	1	Rs. 15600-39100+5400 GP
8	Revenue Officer	0	1	1	On transfer or deputation from Revenue Department, Haryana.
Qual	lity Marking Centre Cadre:-				
1	Additional Director (Technical)	0	2	2	Rs. 15600-39100+8000 GP
2	Joint Director (Technical)	1	1	2	Rs. 15600-39100+6400 GP
3	Joint Director (Chemical Engineering)	0	2	2	Rs. 15600-39100+6400 GP
4	Deputy Director (Technical)	1	3	4	Rs. 15600-39100+5400 GP
5	Deputy Director (Chemical Engineering)	1	1	2	Rs. 15600-39100+5400 GP
Boile	er Cadre:				
1	Joint Director - cum - Chief Inspector of Boilers	1	0	1	Rs. 15600-39100+6400 GP
2	Deputy Director – cum- Deputy Chief Inspector of Boilers	2	0	2	Rs. 15600-39100+5400 GP

Note:- The District Revenue Officer shall be posted against the post of Revenue Officer on transfer or deputation basis from the Revenue Department, Haryana on an analogous pay scale.

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	
1.	2.	3.	4.	
Α.	District Industries	Centre Cadre		
1.	Additional Director		(i) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division or Postgraduate Degree in Commerce/ Economics/ Statistics / Mathematics /Business Administration with 2nd division from recognised university; and (ii) Five years experience as Joint Director; or Ten years experience as Deputy Director (Industrial Promotion)/ Deputy Director (Project)/ Deputy Director (Statistics); or Ten years combined experience on the post of Joint Director and Deputy Director(Industrial Promotion/Project/Statistics) By transfer/deputation: (i) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division or Postgraduate Degree in Commerce/ Economics/ Statistics / Mathematics /Business Administration with 2nd division from recognized university; and (ii) Candidate already holding the post of Additional Director for at least one year; and (iii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard or higher education.	
2.	Joint Director		By Promotion:- (i) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division or Postgraduate Degree in Commerce/ Economics/ Statistics / Mathematics / Business Administration with 2nd division from recognised university; and	
			 (ii) Five years experience as Deputy Director (Industrial Promotion), Deputy Director (Projects)/ Deputy Director (Statistics). Note:-The above criteria of qualification shall not be applicable for the Deputy Directors 	

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1.	2.	3.	4.
			appointed before the date of notification of these service rules; By transfer/deputation (i) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division or Postgraduate Degree in Commerce/ Economics/ Statistics / Mathematics / Business Administration with 2nd division from recognized university; and (ii) Candidate already holding the post of Joint Director for at least one year; and (iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education
3.	Deputy Director (Industrial Promotion)	(i) Postgraduate Degree in Commerce/ Economics/ Business Administration with 2nd division or Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division from recognised university and with minimum 03 years experience in supervisory/ managerial capacity in a Private Industry/Semi Government/ Government Undertaking/ Department; and (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.	By promotion: Five years experience as Assistant Director (Industrial Promotion); By transfer/deputation:- (i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Industrial Promotion) for at least one year; (ii) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1st Division or Postgraduate Degree in Commerce/Economics/ Business Administration with 2nd division from recognized university; and (iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
4.	Deputy Director (Projects)	(i) Degree in Engineering or Technology with 1st Division from a recognized University and with minimum 03 years experience in Supervisory/managerial capacity in a Private Industry/Semi Government/Govt. Undertaking/ Department; and (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.	By promotion:- Five years experience as Assistant Director (Projects); By transfer/deputation:- (i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Project) for at least one year; (ii) Graduate in Engineering or Technology with 1st division from recognized University; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.
5.	Deputy Director (Statistics)	(i) Masters Degree in Economics/ Statistics/ Commerce/ Mathematics with 2nd division or Chartered Accountant or Company Secretary or Chartered Financial Analyst (CFA) from recognized institution/ University and with minimum 03	By promotion: Five years experience as Assistant Directors (Statistics); By transfer/deputation: (i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Statistics) for at least one year;

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	
1.	2.	3.	4.	
		years experience in managerial capacity in a Private Industry/Semi Government/Govt. Undertaking/ Department; and (ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.	(iii) Masters Degree in Economics/ Statistics/Commerce/ Mathematics with 2nd division or Chartered Accountant or Company Secretary or Chartered Financial Analyst (CFA) from recognized institution /University; and (iv) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.	
6.	Deputy Director (Legal)		By promotion:- Five years experience as Assistant Director (Legal); By transfer/deputation:- (i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Legal) for at least one year; (ii) Bachelor Degree of Law with 2nd Division from a recognized University; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.	
7.	Establishmen		By promotion:-	
	Officer		Two years experience as Superintendent/ Private Secretary; By transfer/deputation:- (i) Candidate already holding the post of Establishment Officer for at least one year; and (ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.	
B.	Quality Marki	ng Centre Cadre:		
1.	Additional Director (Technical)		By Promotion: (i) Bachelor Degree in Engineering or Technology in Mechanical/ Electrical/ Metallurgical/ Production/ Electronics/ Electronics and Communication/ Textile/ Chemical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University; and (ii) Five years experience as Joint Director (Technical) or Joint Director (Chemical Engineering); or Ten years experience as Deputy Director (Technical/ Chemical) or Ten years combined experience on the post of Joint Director (Technical/ Chemical) Chemical) and Deputy Director (Technical/ Chemical); By transfer/deputation (i) Candidate already holding the post of Additional Director (Technical) for at	

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1.	2.	3.	4.
			least one year; (ii) Bachelor Degree in Mechanical/ Electrical/ Metallurgical/ Production/ Electronics/ Electronics and Communication/ Textile/ Chemical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University; and (iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
2.	Joint Director		By promotion:-
	(Technical)		(i) Bachelor Degree in Mechanical/ Electrical/ Metallurgical/ Production/ Electronics and Communication Engineering or Technology with 1st division from a recognized University; and
			(ii) Five years experience as Deputy Director (Technical).
			Note:- The above criteria of qualification shall not be applicable for the Deputy Directors appointed before the date of notification of these service rules.
			By transfer/deputation:-
			(i) Candidate already holding the post of Joint Director (Technical) for at least one year;
			 (ii) Bachelor Degree in Mechanical/ Electrical/ Metallurgical/ Production/ Electronics and Communication / Engineering or Technology with 1st division from a recognized University; and (iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard
			or higher education.
3.	Joint Director (Chemical Engineering)		By promotion:- (i) Bachelor Degree in Chemical/ Textile Technology or Engineering with 1st division from recognized University; and
			(ii) Five years experience as Deputy Director (Chemical Engineering).
			Note:- The above criteria of qualification shall not be applicable for the Deputy Directors appointed before the date of notification of these service rules.
			By transfer/deputation:-
			(i) Candidate already holding the post of Joint Director (Chemical Engineering) for at least one year;

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1.	2.	3.	4.
			(ii) Bachelor Degree in Chemical/ Textile Engineering or Technology with 1st division from recognized University or its equivalent post; and
			(iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
4.	Deputy	(i) Bachelor Degree in Electrical/	By promotion:-
	Director (Technical)	Mechanical/ Electronics/ Electronics and	Five years experience as Assistant Director (Technical);
		Communication/ Production/	By transfer/deputation:-
		Metallurgical Engineering or Technology with 1st Division from recognized institution/	(i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Technical) for at least one year;
		university and with minimum 03 years experience in managerial capacity in a Private Industry/ Company/ Semi Government/ Government Undertaking/ Department; and (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric	(ii) Bachelor Degree in Electrical/ Mechanical/ Metallurgy/ Production/ Electronics/ Electronics and Communication Engineering or Technology with 1st division from recognized University; and
		Standard or higher education.	(iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
5.	Deputy	(i) Bachelor Degree in Chemical	By promotion:-
	Director (Chemical Engineering)	Engineering or Technology with 1st Division from recognized institution/university and with	Five years experience as Assistant Director (Chemical Engineering), Assistant Director (Textile Engineering/ Technology);
		minimum 03 years experience	By transfer/deputation:-
		in managerial capacity in a Private Industry/Company/Semi	(i) Candidate already holding the post of Deputy Director (Chemical Engineering) for at least one year;
		Government/ Government Undertaking/ Department; and (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.	(ii) Bachelor Degree in Chemical Engineering/ Textile Engineering or Technology with 1st division from recognized University; and
		Standard of Higher Education.	(iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
C. Bo	oiler Cadre:		
1.	Joint Director-		By promotion:-
	cum-Chief Inspector of Boilers		(i) Bachelor Degree in Mechanical/ Production/ Power Plant/ Metallurgical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University or equivalent; and
			(ii) Minimum five years experience as Deputy Director of Boilers-cum- Deputy Chief Inspector of Boilers;

Sr. No.	Designation of the posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	
1.	2.	3.		4.
			By tran	nsfer/deputation:-
			(i) (ii)	Bachelor Degree in Mechanical/ Production/ Power Plant/ Metallurgical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University or equivalent; Candidate already holding the post of Joint Director-cum-Chief
				Inspector of Boilers for at least one year, and
			(iii)	Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.
2.	Deputy		By pro	omotion:-
	Director-cum- Deputy Chief Inspector of Boilers		(i)	Bachelor Degree in Mechanical/ Production/ Power Plant/ Metallurgical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University or equivalent; and
			(ii)	Five years experience as Assistant Director of Boilers-cum-Inspector of Boilers; and
			By tran	nsfer/deputation:-
			(i)	Bachelor Degree in Mechanical/ Production/ Power Plant/ Metallurgical Engineering or Technology with 1st division from a recognized University or equivalent;
			(ii)	Candidate already holding the post of Deputy Director-cum-Deputy Chief Inspector of Boilers for at least two years; and
			(iii)	Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or higher education.

APPENDIX C

(See rule 15 (1))

~				27.		
Sr. No.	Designation of the posts	Appointing authority		Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3		4	5	6
	rict Industries re Cadre:	Government	Mino (i)	or Penalties- warning with a copy in the	Director	Government
1	Additional Director	Government	(1)	personal file;		
2	Joint Director		(ii)	censure;		
3	Deputy Director (Industrial Promotion)		(iii) (iv)	withholding of promotion for a specified period upto one year; recovery from pay of the		
4	Deputy Director (Projects)		(11)	whole or part of any pecuniary loss caused by		
5.	Deputy Director (Statistics)			negligence or breach of orders, to the Central Government or a State		
6	Deputy Director(Legal)			Government or to a company and association or a body of individuals		
7	Establishment Officer			whether incorporated or not, which is wholly or		
8	Revenue Officer			substantially owned or controlled by the		
Qual Cadr	ity Marking Centre e:			Government or to a local authority set up by as Act of		
1	Additional Director (Technical)		(v)	Parliament or of the Legislature of State; and withholding of		
2	Joint Director (Technical)		(*)	increment(s) without cumulative effect;		
3	Joint Director (Chemical		Major (vi)	penalties- withholding of increment(s)	Government	Government
	Engineering)			with cumulative effect;	Government	Government
4	Deputy Director (Technical)		(V11)	withholding of promotion for a specified period more than one year;		
5	Deputy Director (Chemical Engineering)		(viii)	reduction to lower stage in the pay band or pay scale for a specified		
Boile	er Cadre:			period, with the specific directions as to whether		
1	Joint Director- cum-Chief Inspector of Boiler			normal increment shall be admissible or not during the currency of the specific period of		

Sr. No.	Designation of the posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
2	Deputy Director- cum-Deputy Chief Inspector of Boiler	Government	reduction, and further, whether on the expiry of the period of reduction his pay is to be restored or not.		Government
			structure, post or service for a period of more than one year from which he has been promoted which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the pay structure, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the pay structure, post or service form which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that pay structure, post or service, (x) compulsory retirement; (xi) removal from service; (xii) dismissal from service		

APPENDIX D

(See rule 15 (2))

Serial Number	Designation of the posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
District I	ndustries Centre Cadre:	(i) reducing or withholding the amount of	Government
1	Additional Director	ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension.	
2	Joint Director	(ii) terminating the appointment of a	
3	Deputy Director (Industrial Promotion)	member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	
4	Deputy Director (Projects)	sup or unification.	
5	Deputy Director (Statistics)		
6	Deputy Director(Legal)		
7	Establishment Officer		
Quality N	Marking Centre Cadre:		
1	Additional Director (Technical)		
2	Joint Director (Technical)		
3	Joint Director (Chemical Engineering)		
4	Deputy Director (Technical)		
5	Deputy Director (Chemical Engineering)		
Boiler Ca	dre:		
1	Joint Director-cum- Chief Inspector of Boiler		
2	Deputy Director-cum- Deputy Chief Inspector of Boiler		

DEVENDER SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Industries and Commerce Department.